सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वादपत्र संख्या – 3982/2015

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. जमनी पत्नि गंगाराम जाति बैरवा निवासी कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादिया

बनाम

1. प्रेम पत्नि भूरालाल जाति कुम्हार
2. रोशन पुत्र भूरालाल जाति कुम्हार
3. ममता पुत्री भूरालाल जाति कुम्हार
4. सुशीला पुत्री भूरालाल जाति कुम्हार

समस्त निवासीगण कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज.काश्त. अधि. सपठित धारा 63 राज.काश्त.अधि.

निर्णय **दिनांकः– 07.05.2018**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कालेडा कृष्ण गोपाल में पेश हुई। वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर नही । उपस्थित वादीगण को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादिया ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादिया के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 249 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.04 है. जो कि प्रतिवादीगण के पिता के भूरालाल पुत्र रामदयाल कुम्हार के नाम दर्ज होकर जरिये नामा. संख्या 731 दिनांक 15.01.2013 से मृतक भूरालाल के स्थान पर प्रेम पत्नि भूरालाल, रोशन पिता भूरालाल, ममता, सुशीला पुत्रीयां भूरालाल कौम कुम्हार के नाम स्वीकार हुआ। वादिया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी में वादिया के पति ने बाडे आदि बना रखे थे जिन पर आज भी वादिया का ही कब्जा है तथा उक्त बाडे मे वादिया के पशु आदि रहते है व तथा पशुओं के लिए घास,चारा व कृषि संबंधी यंत्र पडे है। वादिया उक्त बाडे को उनके पति के समय से यानी दीर्घकाल समय से कृषि यंत्र रखने व पशु आदि बांधने में उपयोग में ले रही है। प्रतिवादीगण ने छल कपट कर वादग्रस्त आराजी को अपने नाम करा लिया है जिससे उनका कब्जा हटाया जाकर प्रतिवादीगण को बैदखल कर वादिया को कब्जा संभलाया जावे।

हमने वादिया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की और से श्री जगदीश प्रसाद दाधीच एडवोकेट ने पावर पेश किया। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने बतौर जवाब के मौका रिपोर्ट पेश की है जो शामिल पत्रावली की गई। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार है।

वादिया ने अपनी बहस के दौरान अपने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया है कि वादिया के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 249 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.04 है. जो कि

प्रतिवादीगण के पिता के भूरालाल पुत्र रामदयाल कुम्हार के नाम दर्ज होकर जरिये नामा. संख्या 731 दिनांक 15.01.2013 से मृतक भूरालाल के स्थान पर प्रेम पत्नि भूरालाल, रोशन पिता भूरालाल, ममता, सुशीला पुत्रीयां भूरालाल कौम कुम्हार के नाम स्वीकार हुआ। वादिया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी में वादिया के पति ने बाडे आदि बना रखे थे जिन पर आज भी वादिया का ही कब्जा है तथा उक्त बाडे मे वादिया के पशु आदि रहते है व तथा पशुओं के लिए घास,चारा व कृषि संबंधी यंत्र पडे है। वादिया उक्त बाडे को उनके पति के समय से यानी दीर्घकाल समय से कृषि यंत्र रखने व पशु आदि बांधने में उपयोग में ले रही है। प्रतिवादीगण ने छल कपट कर वादग्रस्त आराजी को अपने नाम करा लिया है जिससे वादिया का कब्जे के अनुसार उसके हक में होना जाहिर होता है। अतः दावा स्वीकार योग्य बनता है।

प्रतिवादीगण की प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपने जवाब दावे में अंकित बिन्दुओं का बखान करते हुए निवेदन किया है कि वादिया के वादपत्र का पेरा संख्या 1 में वर्णित बाडा प्रतिवादी 1 से 4 का है तथा वर्षो से अपने कृषि यंत्र रखने व पशु आदि खडे करने के काम आ रहा है। तथा प्रतिवादी 1 से 4 ही उपभोग कर रहे है। वादिया द्वारा उक्त बाडे को हडपने की नियत से झूठा व तथ्यों को छुपाकर पेश किया है जो चलने योग्य नही है जिसे खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब/मौका रिपोर्ट में निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी 1 से 4 के नाम दर्ज खातेदारी है व मौके पर बाडा बना हुआ है जो कृषि कार्य के रूप में काम नही आ रहा है। अतः वादिया का दावा खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सूना वादग्रस्त आराजी हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर बाडा बना हुआ है जो कृषि यंत्रों को रखने के काम आ रहा है तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उक्त बाडे पर मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादी के नाम दर्ज खातेदारी होना जाहिर किया है। किन्तु बाडा वादिया का है या प्रतिवादीगण का इस बारे में कोई उल्लेख नही किया गया है। प्रविादीगण द्वारा एक वाद जो इसी न्यायालय में मुकदमा नम्बर 386/2016 उनवानी रोशन वगै. बनाम जमनी वगै. के नाम से अन्तर्गत धारा 188 में पेश कर रखा है जो अन्तर्गत धारा 188 में डिक्री किया जा चुका है। लिहाजा इस प्रकरण में पृथक से आदेश की आवश्यकता नही है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी होने से वादिया का प्रेमापेसाई केश होना नही पाया जाता है ना ही वादपत्र का संतुलन वादिया के पक्ष में है।

अतः वादिया का दावा वाके ग्राम कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खसरा नम्बर 182 रकबा 0.04 हैक्ट अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्त. अधि. सपठित धारा 63 राज.काश्त.अधि. का पोषणीय नही होने से तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी